राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक: एफ–5/मुख्या./यां./सामा.(77)/2020/ 66 दिनांक:- 04/5/2020

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ5/मुख्या/यां./सामा.(53)2019/876 दिनांक 12.3.19 के द्वारा प्रशिक्षणरत शिक्षुओं को Stipend (वृत्तिका) का भुगतान करने के आदेश जारी किये गये थे। भारत सरकार के राजपत्र संख्या 561 दिनांक 25.9.2019 के क्रम में संयुक्त राज्य शिक्षुता सलाहकार एवं संयुक्त निदेशक प्रावधायी शिक्षा बनीपार्क जयपुर के कार्यालय पत्रांक 4665–97 दिनांक 15.10.19 के द्वारा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रतिमाह शिक्षुओं को दी जाने वाली Stipend (वृत्तिका) संशोधित की जाने के फलस्वरूप राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में शिक्षुता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत शिक्षुता नियम 1992 के नियम 11 के अनुसार प्रशिक्षणरत शिक्षुओं को दी जाने वाली वृत्तिका का भुगतान राज्य में राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक को रूपये 7000/–(सात हजार रूपये) प्रति माह न्यूनतम देय होंगे।

साथ ही शिक्षुता प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान, विहित न्यूनतम वृत्तिका रकम में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी और शिक्षुता प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान विहित न्यूनतम वृत्तिका रकम में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

ये आदेश भारत का राजपत्र के प्रकाशन की दिनांक 25.09.2019 से प्रभावी होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

क्रमांक: एफ–5/मुख्या./यां./सामा.(77)/2020/ 66 दिनांक:- 04/5/2020

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्धक निदेशक, रारापपनिगम, मुख्यालय जयपुर।
2. संयुक्त राज्य शिक्षुता सलाहकार एवं संयुक्त निदेशक प्रावधायी शिक्षा विभाग, बनीपार्क जयपुर।
3. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, रारापपनिगम, मुख्यालय, जयपुर।
4. लेखाधिकारी (वित्त/बजट) रारापपनिगम, मुख्यालय, जयपुर।
5. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, के.का. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
6. मुख्य प्रबन्धक /प्रबन्धक (वित्त) रारापपनिगम———————।
7. आदेश पत्रावली।

Scanned with CamScanner

उप महा प्रबन्धक(प्रशासन)

Scanned by CamScanner